(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानीः प्रकरण कमांक–1918–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–1992 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–41/ए/1987–88

.....

श्री गिरजाशंकर तनय मेड़ेलाल
निवासी–ग्राम मुददेपुर, तहसील हुजूर
जिला–रीवा

———आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश राज्य
2– श्री विमलेश्वर प्रसाद पुत्र श्री महेश प्रसाद
3– श्री विश्वनाथ प्रसाद पुत्र श्री महेश प्रसाद
निवासी–गोविन्दगढ़, हाल मुकाम मुददेपुर, तहसील हुजूर
जिला–रीवा
4– श्री मनोज कुमार पुत्र श्रीनिवास
5– श्री संदीप कुमार पुत्र श्रीनिवास
दोनों निवासी–चाकघाट तह0 त्यौंथर
जिला–रीवा (म0प्र0)
6– श्रीमती सिया दुलारी विधवा श्रीनिवास
चाकघाट तह0 त्यौंथर, जिला–रीवा(म0प्र0)

———अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25-07-17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 23.11.77 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किये जाकर विधिवत जांच हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने पर कलेक्टर रीवा ने पुनः कार्यवाही प्रारंभ की। संबंधित पक्षकारों एवं उनके वारिसों को रिकॉर्ड में लेने के उपरांत नवीन विवरणी प्राप्त कर उन पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत दिनांक 3.11.87 को आदेश पारित करते हुये शेष बची भूमि को अतिशेष घोषित किया। कलेक्टर रीवा के उक्त आदेश दिनांक 03.11.1987 के विरूद्ध आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रास्तुत की गई जो अपील क्रमांक 41–ए / 1987–88 में पारित आदेश दिनांक 30.12.1992 से निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों के तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण का निराकरण प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जावे। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक क0 1 लगायत 6 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 23.11.77 के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा प्रकरण में जांच की गई कि प्राप्त प्रतिवेदन आपत्तिकर्ताओं द्वारा आपत्तियों का निपटारा करने के उपरांत धारकों से प्राप्त विवरणी के अनुसार धारकों के संयुक्त खाते में सभी सदस्यों की पात्रता के अनुसार भूमि छोड़ते हुये शेष बची भूमि को अतिशेष घोषित की गई है। कलेक्टर द्वारा संयुक्त परिवार के 07 सदस्यों की पात्रता 62 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष भूमि मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 11(6) के अंतर्गत शेष भूमि अतिशेष घोषित की गई है। कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आदेश पारित किया गया है। जिसे आयुक्त रीवा द्वारा भी

स्थिर रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—12—1992 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,